उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या- 62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016

लखनऊः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2016

संकल्प

पढ़ा गया: वेतन समिति, (2016) का प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से 4 तथा उसकी संस्तुतियॉ ।

पर्यालोचनार्थ-शासन द्वारा वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से 4 में राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा राज्य के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को विचारोपरान्त निम्न के अधीन रहते हुए स्वीकार कर लिया गया हैः-

(1) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियॉ स्वीकार की गयीं।

(2) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण, वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा।

(3) मॅहगाई भत्ते के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुति स्वीकार की गयी। इस क्रम में दिनांक 01 जनवरी 2016 को पूर्व वेतनमानों में देय मॅहगाई भत्ते को मूल वेतन में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक कोई मॅहगाई भत्ता देय नहीं होगा तथा दिनांक 01 जुलाई 2016 से दो प्रतिशत की दर से मॅहगाई भत्ता दिया जाना स्वीकार किया गया।

(4) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में 03 प्रतिशत की एक समान वार्षिक वेतनवृद्धि की दर तथा सभी के लिये समान रूप से वेतनवृद्धि की 01 जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर सम्बन्धित कार्मिक को उसकी नियुक्ति/प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन के संदर्भ में 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई को वेतनवृद्धि दिये जाने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(5) राजकीय कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये लागू रही ए0सी0पी0 की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया कि ''संतोषजनक सेवा'' के मापदण्ड के स्थान पर ''बहुत अच्छा'' निर्धारित किया जाय। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न संवर्गो के उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु वर्तमान में प्रभावी ''संतोषजनक सेवाओं'' के मापदण्ड को बढ़ाकर ''बहुत अच्छा'' निर्धारित किया जाय एवं तदनुसार सेवा नियमावलियों में संशोधन किया जाय।

(6) राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) के लिये लागू रही चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान की व्यवस्था को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पूर्ववत् बनाये रखने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) ऐसे राज्य कर्मचारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारी, जो प्रथम 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक ए0सी0पी0 अथवा नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें आगे वार्षिक वेतनवृद्धियॉ स्वीकृत न किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(8) राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों को अनुमन्य हो रहे विभिन्न प्रकार के भत्ते एवं सुविधाओं (मॅहगाई भत्ते को छोड़कर) को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पूर्व दरों पर बनाये रखने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार कर लिया गया।

(9) शिक्षा विभाग के शिक्षकों हेतु निर्धारित नियत वेतन रू0 7300 के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी 2016 से रू0 18770/- नियत वेतन निर्धारित किये जाने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(10) राज्य के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, मॅहगाई राहत तथा अन्य सुविधायें यथा-अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, Exgratia Lumpsum Compensation तथा स्थायी सेवक भत्ता आदि, जो केन्द्र के समान देय हैं, को दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में केन्द्र सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के समान दिये जाने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(11) ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिन्हें न्यायालय अथवा आयोग अथवा किसी जॉच समिति आदि में सेवाकाल में किये गये कार्यों के आधार पर साक्ष्य हेतु बुलाया जाता है, को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उनके द्वारा धारित अंतिम पद एवं वेतनमान हेतु अनुमन्य दरों पर प्रदान किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(12) सेवानिवृत्ति के समय निर्गत होने वाले पी0पी0ओ0 में अंतिम आहरित वेतन, वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/पे लेवल का उल्लेख किये जाने तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उसकी पेंशन अन्तिम आहरित वेतनमान /वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम निर्धारित होने पर पेंशनर का आवेदन प्राप्त किये बिना उसकी न्यूनतम पेंशन कोषागार द्वारा निर्धारित किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(13) सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण का आदेश कोषागार द्वारा निर्गत करने एवं आदेश की प्रति सम्बन्धित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को उपलब्ध कराने तथा उक्त आदेश में पुनरीक्षित पेंशन तथा राशिकरण को घटाते हुए अनुमन्य पेंशन के साथ-साथ अधिक आयु पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन का भी उल्लेख किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(14) जीवित प्रमाण-पत्र हेतु भारत सरकार के समान व्यवस्था किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(15) जिलाधिकारी स्तर पर होने वाली मासिक बैठक के एजेन्डा में पेंशनर्स का प्रकरण सम्मिलित किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(16) राजकोष से पेंशन पाने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए वित्त विभाग के स्तर से निर्गत शासनादेश के अनुसार ही न्यूनतम पेंशन का निर्धारण कोषागार द्वारा किये जाने की व्यवस्था विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(17) राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मँहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी 2017 (भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2017 को देय) से नकद भुगतान किया जाना तथा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय अवशेष का भुगतान 02 समान किश्तों में निम्नानुसार किया जाना स्वीकार किया गया हैः-

(i) अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के माह अक्टूबर के पूर्व नहीं किया जायेगा।

(ii) वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में उपरोक्तानुसार देय अवशेष का 80 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कार्मिक के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा किया जायेगा और अवशेष 20 प्रतिशत भाग में से देय आयकर की धनराशि को काटकर शेष नकद भुगतान किया जायेगा। ऐसे कार्मिक जिनके देय आयकर की धनराशि 20 प्रतिशत से अधिक होती है, के मामलों में 20 प्रतिशत नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि को देय आयकर की सीमा तक आयकर भुगतान हेतु बढ़ा दिया जायेगा तथा अवशेष धनराशि भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की जायेगी।

(iii) ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता न खुला हो, को देय अवशेष उनके विकल्प के आधार पर एन0एस0सी0 के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि (पी0पी0एफ0) खाते में जमा कर दिया जायेगा। उक्तानुसार भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि, जमा होने की तिथि से 01 वर्ष तक सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा रहेगी और उसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो, 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।

(iv) पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उपर्युक्त उप प्रस्तर-(i) के अनुसार वित्तीय वर्षों 2017-18 व 2018-19 में देय अवशेष का भुगतान नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाय।

(v) नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को तद्नुसार देय अवशेष धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। अवशेष की शेष 90 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों को उनके विकल्प के आधार पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि (पी0पी0एफ0) खाते में जमा कर दी जायेगी।

(vi) किसी पेंशनर/पारिवरिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

(18) वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-2 के प्रस्तर-8(8) में ऐसे सेवा निवृत्त व्यक्तियों, जो स्वेच्छा से बिना पारिश्रमिक के सेवायें प्रदान करने हेतु तत्पर हों, की सेवाओं का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यो हेतु करने, उनका डेटा बेस एवं बेवसाइट बनाये जाने एवं इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार किये जाने हेतु नियोजन विभाग को नोडल विभाग बनाये जाने विषयक समिति के मत को स्वीकार किया गया।

(19) वेतन समिति द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ राज्य कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों /शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उनके द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016/विकल्प की तिथि को प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर दिया जायेगा, परन्तु इस संकल्प द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स निम्न पर लागू नहीं होगीः-

(i) राज्य के न्यायिक सेवा तथा उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी।

(ii) स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय /विश्वविद्यालय, विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों तथा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक।

(iii) कार्य प्रभारित कर्मचारी।

(iv) स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी।

(v) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारी/अधिकारी।

(vi) स्थानीय निकाय/जिला पंचायत/विकास प्राधिकरण एवं जल संस्थानों के कर्मचारी/अधिकारी।

(vii) जूनियर डाक्टर्स।

(20) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सामान्य आदेश, वेतन निर्धारण एवं मॅहगाई भत्ते के सम्बन्ध में आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(21) इस संकल्प के ज़ारी होने के दिनांक से राजकीय सेवाओं में तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में पदों पर भर्ती एवं पदों का सृजन पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही किया जायेगा।

(22) उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई असंगति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण सामान्य विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा।

(23) जहॅा कहीं किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

(24) वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरूतर दायित्व निवर्हन करते हुए प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, शासन उसकी सराहना करता है।

<u>आदेश</u>

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन साधारण की सूचना के लिये उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित किया जाय। संकल्प तथा वेतन समिति का प्रथम प्रतिवेदन वित्त विभाग की वेबसाइट पर रखा जाय और सम्बन्धित विभागों को भी भेजा जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन तथा संकल्प की प्रतियॅा, राजकीय सेवा संघों और जनता के लिये बिक्री हेतु उपलब्ध रखी जायें।

आज्ञा से,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643(1)/दस-04(एम)/2016, तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
5. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
8. सचिवालय के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in